न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 62/2018 (225 आरटीए) छोगाराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00083)

1 छोगाराम पुत्र श्री शिवराम जाति विश्नोई,
2 रामरख पुत्र श्री शिवराम जाति विश्नोई
सभी निवासीगण रामनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी श्री तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।
2 श्री गोपाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई,
3 श्री प्रहलादराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई,
4 श्रीमती बस्तुदेवी पत्नी श्री भगवानराम जाति विश्नोई,
5 श्री बीरबलराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई,
6 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई,
7 श्री राजूराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई,
8 श्री पपली पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई,
9 श्री शारदा पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई
सभी निवासी रामनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
10 श्री शिवप्रकाश पुत्र श्री पबाराम जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वरनगर तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 23.03.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 15/2018

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. सुखवाल।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 23.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

23/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 15/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं करने तरमीम रिकार्ड दुरस्ती, नाप, सीमांकन व पत्थरगढ़ी के लिए प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 15/2018 पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा के खेत खसरा नं. 288 के विवादग्रस्त भूमि के मौके पर नक्शा ट्रेस में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से खातेदारों के बीच अलग–अलग जमाबंदी में अंकन अनुसार नक्शा में डिमार्केशन अंकित नहीं किया गया है। जिससे नक्शा ट्रेस में डिमार्केशन हेतु मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 10 क्रेता श्री शिवप्रकाश द्वारा जो भूमि रेस्पोडेंट सं. 3 से क्रय की उस नक्शा में डिमार्केशन अंकित कर दिया जबकि अन्य खातेदारान की भूमि के बाबत आज दिनांक तक नक्शा में अंकन नहीं होने से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा निवेदन किया। मगर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 9 के भूमि के राजस्व रिकार्ड के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जबकि मौके क बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिए जाने में भारी भूल फरमाई गई है। साथ ही क्रेता की भूमि के बाबत कोई उचित आदेश प्रदान नहीं किए जाने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 से असंतुष्ट होकर से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. सुखवाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध होकर सही तथ्यों से परे जाकर अपनी इच्छानुसार गलत अर्थ निकालते हुए पारित किया जो संशोधन योग्य है। ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नं. 288 कुल रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा पूर्व में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 9 के दादाजी धन्नाराम के जीवनकाल में बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार उक्त खसरा में से अपीलांट्स के पास जमाबंदी

संवत 2067–2070 में अंकन के अनुसार खसरा नं. 228/1 रकबा 35 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर जमाबंदी में अलग अंकन हो गया है जो मौके पर पूर्व दिशा में वादीगण का कब्जा एवं काश्त में निरंतर चली आ रही है। मगर नक्शा ट्रेस में आज दिनाक तक डिमार्केशन होना बकाया है। रेस्पो. सं. 2 गोपाराम पुत्र रूपाराम के हिस्से में खसरा नंबर 288 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा रेस्पो. सं. 3 प्रहलादराम पुत्र रूपाराम के हिस्से में खसरा नं. 288/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा एवं रेस्पोडेंट सं. 4 से 9 भगवानाराम के वारिसान के हिस्से में खसरा नं. 288/3 रकबा 4 बीघा भूमि में अलग अलग खातेदारी में अंकन होना चौसाला जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में अंकन से प्रमाणित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील के अनुसार संपूर्ण भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने में भारी भूल फरमाई गई है जिससे आदेश जैर अपील संशोधन योग्य है। रेस्पो. सं. 3 प्रहलादराम पुत्र रूपाराम के द्वारा उसके हिस्से की भूमि खसरा नं. 288/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 10 शिवप्रकाश को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2014 से बेचान कर दी गई है। जिसके अनुसार क्रेता रेस्पोडेंट सं. 10 शिवप्रकाश मूल विक्रेता प्रहलादराम का सह काश्तकार हो सकता है। उसका अलग खाता बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कतई नहीं खोला जा सकता है। किंतु राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से ना केवल रेस्पों. सं. 10 शिवप्रकाश के नाम अलग खसरा नं. 284/4 रकबा 2 बीघा अंकन कर दिया जबकि खसरा नं. 288 के जो उक्त खातेदारान के बीच अलग–अलग दिखा रखा है मगर मौके पर नक्शा ट्रैस में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार से अलग नक्शा में डिमार्केशन अंकित नहीं किया गया है। जिससे नक्शा ट्रेस में डिमार्केशन हेतु मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवदेन किया जिसके बाबत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निम्न प्रकार से आदेश प्रदान किया है। "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने वादग्रस्त के नक्शे में खसरा नं. 288/4 तरमीम होना जाहिर है। उक्त खसरा नं. 288/4 व खसरा नं. 288/5 की भूमि के अलावा अन्य भूमि जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित की है बाबत वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जो आज दिन स्थिति है उसे आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।" उक्त आदेश के अनुसार अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 9 के पास जो भूमि के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की मगर रेस्पोडेंट सं. 10 क्रेता शिवप्रकाश द्वारा जो भूमि रेस्पो. सं. 3 प्रहलादराम से क्रय के नक्शा में विधि विरुद्ध जाकर डिमार्केशन करने में भारी भूल की है के बाबत किसी प्रकार का

23/10

आदेश जैर अपील में पारित नहीं किए जाने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल फरमाई है जिससे आदेश जैर अपील क्रेता रेस्पो. सं. 10 शिवप्रकारश द्वारा क्रय शुदा भूमि 2 बीघा पर किसी भी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किए जाने में भारी भूल फरमाई जिससे आदेश जैर अपील संशोधन योग्य है। रेस्पो. सं. 3 प्रहलादराम पुत्र रूपाराम के द्वारा उसके हिस्से की आराजी संख्या 288/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि रेस्पोडेंट सं. 10 शिवप्रकाश को विक्रय किए जाने से जरिए नामांतरकरण सं. 159 दिनांक 20.10.2014 से अंकित हुई है, जबकि अपीलांट्स/वादीगण एवं रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण की मौके अनुसार बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व नक्शा में उचित अंकन नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 10 ने जो भूमि क्रय की उसका बिना वादीगण की सहमति के जो नक्शा ट्रेस में अंकन किया गया है, ऐसा अंकन विधि विरुद्ध जाकर किया गया है। ऐसे अंकन को हटाया जाकर सर्वप्रथम वादीगण–अपीलांट्स व प्रतिवादीगण–रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 9 के बीच आने वाली भूमि का नक्शा ट्रेस में उचित तरमीम डिमार्केशन करवाना नितांत जरूरी है एवं आवश्यक है एवं जो भूमि प्रतिवादी सं. 3 प्रहलादराम के द्वारा उसके हिस्से में से 2 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 10 को विक्रय की गई है उसका डिमार्केशन मूल खातेदारों की तरमीम के बाद ही जहां प्रतिवादी सं. 3 प्रहलादराम की भूमि बताई जाती है उसमें से ही रेस्पोडेंट संख्या 10 शिव प्रकाश को दिलाई जाकर उसका नक्शा में अंकन किया जा सकता है। ऐसी मांग वाद में की गई एवं वाद के अंतिम निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई मगर क्रेता की सीमा तक किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। इस कारण अपीलाधीन आदेश को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश संशोधन योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2017(1) पेज 406, व डी.बी.सिविल रिटपिटीशन 2077/1992 पेश किए। अंत में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को संशोधित करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 2 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि ग्राम रामनगर (कापरडा) तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 288 रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार धनाराम पुत्र अमराराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर की खातेदारी की थी। खातेदार धनाराम के देहांत के बाद उसके तीन पुत्र रूपाराम, सुखाराम शिवराम ने अपनी काश्त की सुविधा के लिए आपसी सहमति से नायब तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 14.04.1972 को

बंटवाड़ा कर लिया था जिसके अनुसार भूमि खसरा नंबर 288 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा रूपाराम के बंट में तथा खसरा नंबर 288 रकबा 35 बीघा 4 बिस्वा शिवराम के बंट में रखी गई। जिसका आपसी सहमति से बंटवारा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 209 स्वीकृत किया गया और पक्षकारों की भूमि अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दी गई। उसके बाद पक्षकारों का मौके पर 43 वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अतः अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के पूर्वज द्वारा नायब तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 14.04.1972 को निष्पादित किया जा चुका था और भूमि पर अलग–अलग काबिज हो गए एवं भूमि के राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग बटा नंबर दर्ज कर दिए गए। उसी अनुसार रेस्पोडेंट सं. 3 ने अपनी काबिज काश्त की भूमि खसरा नंबर 288/4 का रेस्पोडेंट संख्या 10 को भूमि बेचान की है। रेस्पोडेंट संख्या 10 ने अपनी कब्जाशुदा, काश्तशुदा, खरीदशुदा भूमि का संपरितवर्तन वाणिज्यिक भूमि में करवा दिया है। फिर भी अपीलांट ने भूमि खसरा नं. 288 का पुनः बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष पेश कर दिया है। जो राजस्व वाद 64/2016 अनवान छोगाराम बनाम गोपाराम वगैरा दिनांक 14.03.2017 को खारिज किया गया फिर भी अपीलांट ने जानबूझकर मौजूदा अपील में अपने द्वारा पेश किए गए पूर्व वाद सं. 64/2016 एवं निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 14.03.2017 के अंतिम निर्णय के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है। अपीलांट्स की ओर से सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा के खसरा नं. 288, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4 के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, सीमांकन एवं तरमीम का दावा पेश किया एवं दावे के साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया जिसमें अपीलांट की ओर से प्रार्थना की गई कि ताफैसला दावा भूमि खसरा नं. 288, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4 का राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखी जावे। अपीलांट्स प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते वक्त खसरा नं. 288, 288/1, 288/2, 288/3 के बारे में स्थगन आदेश दे दिया गया है। लेकिन खसरा नं. 288/4 के बारे में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय में अगर भूल कर दी जाती है तो अपीलांट को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152, 153 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिक उपचार प्राप्त है या उस आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है।

अपीलांट ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंतरिम आदेश दिनांक 23.03.2018 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील संधारण योग्य नहीं हैं जैसा कि 2014(1) आर.आर.टी पेज 409, 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 548 में निर्णित किया गया है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई अपील संधारण योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 को पारित किया गया है। पारित आदेश केवल एक पक्षीय एवं अंतरिम स्थगन आदेश है जिसमें यह आदेश पारित किया गया है कि खसरा नं. 288/4 व खसरा नं. 288/5 की भूमि के अलावा अन्य भूमि जो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित की है बाबत राजस्व रिकार्ड की जो आज दिन की स्थिति है उसे आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाई रखी जावे। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. से नोटिस जारी किए गए तथा पत्रावली दिनांक 25.04.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु नियत की गई। इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में यह अपील केवल इस आधार पर पेश की है कि इस अंतरिम आदेश में खसरा नं. 288/4 की भूमि पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अंतरिम आदेश को संशोधन कर संपूर्ण खसरों की भूमि के लिए एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के साथ–साथ मौके की यथास्थिति रखने के लिए भी पारित किया जावे। रेस्पोडेंट सं. 2 से 10 के अधिवक्ता ने लिखित प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि यह अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील होने से मैंटेनेबल नहीं हैं अतः अपील खारिज की जावे। अतः इस प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि अपील मैंटेनेबल है या नहीं।

अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि यह अपील मैंटेनेबल है। तथा अपने कथन की पुष्ठि में न्यायिक दृष्टांत 2017(1) आर.आर.टी. 406 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 2077/1992 प्रस्तुत किये हैं। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टांत 2017(1) आर.आर.टी. 406 में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम स्थगन के संबंध में हैं जबकि प्रस्तुत अपील में आदेश विचारण न्यायालय के द्वारा

पारित किया गया है तथा उसमें केवल संशोधन के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत डी.बी.सिविल रिट पिटीशन 2077/1992 में माननीय राजस्व मण्डल ने रिवीजन में अंतरिम स्थगन नहीं दिया जिसके विरुद्ध उक्त डी.बी.सिविल रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में पारित अंतरिम आदेश में संशोधन हेतु अपील पेश की है। इस प्रकार उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। दूसरी ओर रेस्पो. सं. 2 से 10 के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2014(1) आर.आर.टी. 409 पेश कर कथन किया है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में अपीलांट द्वारा संशोधन के लिए प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। आदेश के विरुद्ध यह अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में अगर कोई भूल कर दी जाती है तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 151, 152, 153 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिक उपचार प्राप्त है या उस आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। रेस्पो. के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने अंतरिम आदेशों की अपीलों के संबंध में अपीलांट कोर्ट के लिए गाईड लाइन भी दी गई हैं। जिसमें यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट कोर्ट को ऐसे आदेश जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की है तो ऐसे अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने केवल खसरा नं. 288, 288/1, 288/2, 288/3 के लिए राजस्व रिकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए जारी की है परंतु खसरा नं. 288/4 के लिए मौके पर तरमीम होने तथा संपरिवर्तन होकर पेट्रोल पंप चालू होने से तथा खसरा नं. 288/5 राज्य सरकार को समर्पण करने के कारण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन चाहा है कि सभी खसरों में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। अतः इस न्यायालय की राय में यह प्रकरण खसरा नं. 288/4 व 288/5 के संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के जरिए खसरा नं. 288/4 व 288/5 पर भी अंतरिम स्थगन चाहा जा रहा है। इसलिए यह अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। अतः माननीय

राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने अंतरिम आदेशों की अपीलों के संबंध में अपीलांट कोर्ट के लिए गाईड लाइन पूर्णतया इस प्रकरण पर लागू होती है, जिसमें यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट कोर्ट को ऐसे आदेश जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की है तो ऐसे अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट मैंटेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट मैंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 यथावत रखा जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को उभयपक्षकारान को सुना जाकर अधिकतम 2 माह की अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

23/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर